न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— नरेन्द्र के. वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर :— 03 / 2018

(आरसीएमएस नम्बरः— 2018 / 00039)

उनवान प्रकरण

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ जिला धौलपुर ....प्रार्थी

बनाम

मुकेशचन्द शर्मा पुत्र बाबूलाल शर्मा जाति ब्राहम्ण निवासी पुराना शहर धौलपुर ....अप्रार्थीगण

(रैफरेन्स प्रार्थना पत्र धारा 82 व 88(2)
राज0भू0राजस्व अधिनियम 1956
व धारा 232 राज0काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति अभिभाषकगण :—

प्रार्थी की ओर से — श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभिभाषक
अप्रार्थी की ओर से — श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट

निर्णय

दिनांक 13.03.2020

तहसीलदार सैपऊ द्वारा यह रैफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 व 88(2) राज0भू—राजस्व अधिनियम 1956 व धारा 232 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2841 / 3464 रकवा 10 बीघा वांके ग्राम सैपऊ न01 तहसील सैपऊ जिला धौलपुर अप्रार्थी मुकेशचन्द शर्मा पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहम्ण निवासी सैपऊ की खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त खसरा नम्बर 2841मि0 रकवा 10 बीघा के रूप में दिनांक 23.05.1989 को अप्रार्थी के

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

पक्ष में अबैध रूप से अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में आवंटन करवाया था तथा वक्त आवंटन अप्रार्थी पट्रोल पम्प का मालिक था व धनाढय व्यवसायी था। अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमि हीन व्यक्ति नहीं था तथा ना ही उक्त आवंटन आदेश पर उपरोक्त विषय में हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट है। वक्त आवंटन अप्रार्थी सैपऊ का निवासी नहीं था तथा ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी पुराना शहर धौलपुर का निवासी है। लिहाजा सैपऊ का स्थानीय निवासी नहीं होने की बजह से भी अप्रार्थी आवंटन करा पाने का पात्र नहीं था। उपरोक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य है। अप्रार्थी ने उपरोक्त अबैध आवंटन के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2841/3464 रकवा 10 बीघा बौंके ग्राम सैपऊ नम्बर–1 पर जरिये नामान्तकरण संख्या 463 से गैरखातेदारी इन्द्रांजात तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 1054 से खातेदारी इन्द्रांजात प्राप्त किये है। उक्त दोनों नामान्तकरण व उनके द्वारा रिकार्ड में हुए समस्त परिवर्तन प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण काबिल निरस्ती के है तथा उक्त कृषि भूमि ग्राम पंचायत का कचरा व खाई स्थल के रूप में उपयोग में है इसलिये भी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते है। अतः प्रार्थी ने उक्त आराजी का नामान्तकरण संख्या 463 एवं 1054 को निरस्त कर विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड को आवंटन तारीखी 23.05.1989 से पूर्व की स्थिति में वापस सिवायचक दर्ज किये जाने हेतु रेफरेन्स प्रकरण प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण स्वीकार किया जावे।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ नकल आवंटन आदेश 23.05.1989, नक्शा ट्रेस, नकल जमाबन्दी सम्बत 2067 से 70 ग्राम सैपऊ नम्बर–1, नकल खसरा गिरदावरी सम्बत 2067 सैपऊ नम्बर–1, नकल नामान्तरकरण संख्या 463, नकल नामान्तरकरण संख्या 1054 ग्राम सैपऊ नम्बर–1, पेश किये है।

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से श्री रघुनाथ प्रसाद शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश कर प्रार्थना पत्र रैफरेन्स का जबाव पेश किया जिसमें उन्होने कथन किया कि उपरोक्त आवंटन के विरूद्व कुछ व्यक्तियों होतमसिंह आदि द्वारा एक अपील संख्या 16/1989 उनवानी होतमसिंह व अन्य बनाम एलॉटमेन्ट कमेटी न्यायालय आर ए ए भरतपुर के यहॉ प्रस्तुत की जिसमें उक्त न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.3. 1991 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्व कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई और उक्त आवंटन अन्तिम हो चुका है। इस निर्णय दिनांक 8.3.1991 के बीस साल बाद एक अपील संख्या 11/2012 उनवानी महेन्द्रसिंह बनाम आवंटन सलाहकार समिति के नाम से प्रस्तुत की हुई है। उपरोक्त अपील के अपीलार्थीगण के निर्देश पर यह रैफरेन्स की कार्यवाही गलत तौर पर की गई है जो पोषणीय नहीं है। उक्त आवंटनशुदा भूमि के बावत एक व्यक्ति रामकिशन द्वारा गैर खातेदारी व खातेदारी के आदेशों के विरूद्व एक

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अपील माननीय न्यायालय में उनवानी रामकिशन बनाम अतिरिक्त तहसीलदार सैपऊ के नाम से की गई। उपरोक्त प्रकरण में तहसीलदार सैपऊ द्वारा आवंटन के नामान्तकरण की कार्यवाही 25 वर्ष वाद की गई है जो पोषणीय नहीं है। उपरोक्त प्राईवेट व्यक्तियों के हितो के लिये दुर्भावनावश संस्थित की गई है जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रेफरेन्स खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

अप्रार्थी ने अपने जबाव के साथ सत्यप्रतिलिपि मीमो अपील उनवानी महेन्द्रसिंह बनाम आवंटन अधिकारी, सत्य प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 8.3.1991 होतमसिंह बनाम एलोटमेन्ट कमेटी पेश किये है।

वहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में आवंटन करवाया था तथा वक्त आवंटन अप्रार्थी पट्रोल पम्प का मालिक था व धनाढय व्यवसायी था। अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमि हीन व्यक्ति नहीं था। वक्त आवंटन अप्रार्थी सैपऊ का निवासी नहीं था तथा ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी पुराना शहर धौलपुर का निवासी है। लिहाजा सैपऊ का स्थानीय निवासी नहीं होने की बजह से भी अप्रार्थी आवंटन करा पाने का पत्र नहीं था। उपरोक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य है। विवादित आराजी खसरा गिरदावरी सम्वत 2067 में पडत दर्ज है। उक्त कृषि भूमि ग्राम पंचायत का कचरा व खाई स्थल के रूप में उपयोग में आ रही है इसलिये भी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते है। प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जावे।

अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि आवंटी को उक्त भूमि का आवंटन दिनांक 23.05.1989 को कीमतन किया गया है, जिसको आज तक 31 साल हो चुके है। ऐसे आवंटन को इतने लम्बे समय के बाद निरस्त किया जाना विधि अनुरूप नहीं है। यदि किसी आवंटी के पास 10 एकड से कम जमीन आती है तो वह भूमि हीन काश्तकार माना जाएगा। तहसीलदार की ओर से यह कहा गया है कि विवादित आराजी पर आबादी का कचरा डाला जाता है,लेकिन ऐसी कोई रिपोर्ट किसी इंडिपेंडेंट पर्सन/ऑफिसर की ओर से न्यायालय के समझ प्रस्तुत नहीं की गयी है। तहसीलदार ने आवंटी का पेट्रोल पंप सैपऊ में होना बताया है और फिर भी उसको सैपऊ का निवासी होना नहीं बताया है। आवंटित शुदा भूमि के आवंटन को निरस्त करने की एक अपील एक अपील संख्या 16/1989 उनवानी होतमसिंह बनाम एलॉटमेन्ट कमेटी न्यायालय आर ए ए भरतपुर के यहाँ प्रस्तुत की गई थी जो उक्त न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.3.1991 से खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नहीं हुई और उक्त आवंटन अन्तिम हो चुका है, फलस्वरूप माननीय न्यायालय आर ए ए के निर्णय के विरूद्ध कोई

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

रैफरेन्स प्रेषित करने की अधिकारिता नहीं रखते क्योंकि आर ए ए भरतपुर माननीय न्यायालय का अधीनस्त नहीं है। इसी आराजी के बावत एक अपील 11/2011 महेन्द्रसिंह बनाम आवंटन सलाहकार कमेटी के नाम से प्रस्तुत की गयी जो भी खारिज हो चुकी है। उन्होने अपने तर्को के समर्थन में आर आर डी पेज 170, आर आर डी 2001 पेज 217, आर आर डी 1990 पेज 642, आर आर डी 1996 पेज 41 के न्यायिक दृष्टायान्त पेश कर रैफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विवादित आराजी का आवंटन अप्रार्थी/आवंटी को दिनांक 23.05.1989 को किया गया है। वक्त आवंटन अप्रार्थी/आवंटी पट्रोल पम्प का मालिक था व धनाढय व्यवसायी था। अप्रार्थी वक्त आवंटन भूमि हीन व्यक्ति नहीं था और वक्त आवंटन अप्रार्थी सैपऊ का निवासी भी नहीं था तथा ना ही वर्तमान में है। अप्रार्थी पुराना शहर धौलपुर का निवासी है। लिहाजा सैपऊ का स्थानीय निवासी नहीं होने की बजह से भी अप्रार्थी आवंटन करा पाने का पात्र नहीं था। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा तथ्यों को छुपाकर अपने पक्ष में भूमि का अवैध आवंटन करवाया। उपरोक्त आवंटन प्रारम्भतः शून्य है। पत्रावली पर उपलब्ध खसरा गिरादावरी सम्बत 2067 में विवादित आराजी पडत दर्ज है। तहसीलदार सैपऊ का यहाँ यह कथन है कि उक्त विवादित आराजी ग्राम पंचायत का कचरा व खाई स्थल के रूप में उपयोग में है इसलिये भी राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत उक्त कृषि भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते है। अप्रार्थी ने उपरोक्त अवैध आवंटन के आधार पर तथ्यों को छुपाते हुए उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 2841/3464 रकवा 10 बीघा बौंके ग्राम सैपऊ नम्बर-1 पर जरिये नामान्तकरण संख्या 463 से गैरखातेदारी इन्द्रांजात तथा जरिये नामान्तकरण संख्या 1054 से खातेदारी इन्द्रांजात प्राप्त किये है। उक्त दोनों नामान्तकरण व उनके द्वारा रिकार्ड में हुए समस्त परिवर्तन प्रारम्भ से ही शून्य होने के कारण काबिल निरस्ती के है। जिसके सम्बन्ध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स किया जाना हम उचित समझते है।

अतः नामान्तकरण संख्या 463 एंव 1054 बौंके ग्राम सैपऊ नम्बर-1 तहसील सैपऊ जिला धौलपुर गैरखातेदारी एंव खातेदारी अधिकार निरस्ती हेतु एंव आवंटन तारीख 23.5.1989 से पूर्व की स्थिति में वापस सिवायचक दर्ज करने हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित किया जाता है तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में उभयपक्षों की सुनवाई हेतु आगामी तारीख पेशी दिनांक 16.04.2020 नियत की जाती है। प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को भिजवाया जाकर नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

(नरेन्द्र के.वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर (राज0)

अति. जिला कलक्टर
धौलपुर